FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

ज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम टोंक

राजाराम बनाम तहसीलदार टोंक

म मुकदमा दावा इन्द्राज दुरूस्ती नं. 20 सन् 2018

तारीख हुकम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
.02.2018	अभिभाषक वादी द्वारा प्रस्तुत वाद बाबत दुरूस्ती इन्द्राज कार्यालय रिपोर्ट होकर पेश हुआ। अभिभाषक वादी को सुना गया। अभिभाषक वादी द्वारा प्रस्तुत वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की जरिये सम्मन मय नकल तलबी की जाकर पत्रावली दिनांक 02.04.2018 को पेश हों। उपखण्ड अधिकारी टोंक (राज.)	क्र 592 14-3-18
2/4/18	अभिवक्ता पक्षकारान उपस्थित है। पत्रावली गत् आदेशिका के अनुसार दिनांक 6/5/18 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी टोंक	
30/5/18	पत्रावली राजस्व अभियान के तहत शिविर ग्राम पंचायत काबरा मे पेश हुई। वाद पत्र के अनुसार आवेदक का सही नाम राजाराम पुत्र नारायण गुर्जर है। लेकिन राजस्व कर्मचारियों की गलती से खाता सं0 168 ग्राम याकुबगंज मे नाम राजू पुत्र नारायण गुर्जर अंकित कर दिया गया। उक्त प्रकरण मे प्राप्त तहसीलदार टोंक की रिपोर्ट अनुसार भी आवेदक का नाम राजूलाल पुत्र नारायण गूजर अंकित है। ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र के अनुसार राजाराम को राजूलाल, राजाराम, राजू आदि के नाम से भी जाना जाता है। इसका असली नाम राजाराम है जो सही है। वाद पत्र की पुष्टि मे आवेदक राजाराम से शपथ पत्र लिया गया एक स्वतंत्र गवाह लादूराम पुत्र हीरालाल बैबरवा निवासी ग्राम याकुबगंज द्वारा भी शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। वाद पत्र की पुष्टि मे आवेदक द्वारा जमाबंदी संवत 2073–76, आधार कार्ड, किसान केडिट कार्ड, आदि प्रस्तुत किये गये। हमने पत्रावली व साक्ष्यो का अवलोकन	30/5/18

तारीख हुकम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर अहकाम
	किया गया एवं आवेदक के संबधं मे शिविर मे उपस्थित आम जनता से जानकारी प्राप्त की गई। जनता द्वारा दी गई जानकारी एवं साक्ष्यों से आवेदन पत्र की पुष्टि होती है। प्रार्थनापत्र प्रार्थी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 136 के तहत स्वीकार किया जाकर तहसीलदार टोंक को निर्देशित किया जाता है कि ग्राम याकुबगंज की जमाबंदी संवत 2073–76 के खाता सं0 168, 171 अंकित नाम **''राजूलाल पुत्र नारायण''** के स्थान पर **''राजाराम पुत्र नारायण''** शुद्ध किये जाने एवं **खाता सं0 101 मे प्रार्थी के पिता का नाम नारान के स्थान पर नारायण** अंकित किये जाने की स्वीकृति दी जाती है। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड मे दुरूस्ती की जाकर, पालना से अवगत करावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। (पिंकी मीणा) उपखण्ड अधिकारी, टोंक उपखण्ड अधिकारी टोंक (राज.)	